

	successful of probation as prescribed by the Central Government.		<p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience,-</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) two years experience in maintenance work or store procurement or store handling in a Government organisation preferably in a Museum.</p> <p>Note 1: Only officers of the Central Government or State Governments or Union territories shall be eligible to be considered for appointment in absorption basis.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>– Member;</p> <p>3. Deputy Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum</p> <p>- Member.</p>	
--	--	--	---	--	--

[F. No. 02/34/2022-NCM&HKA]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सा.का. नि. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 को, जहाँ तक उनका संबंध वीथी परिचर से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प) में वीथी परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, वीथी परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वीथी परिचर	*17 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)	लागू नहीं होता	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके पचास वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निष्ठा-यक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	(i) आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) वांछनीय: किसी संग्रहालय या आर्ट गैलरी में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है।)	उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रारंभिक प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी,— (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) – अध्यक्ष (ii) निदेशक (हस्तशिल्प) – सदस्य (iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 02/36/2022—एनसीएम और एचकेए (कंप्यूटर सं. 49600)]

सोहन कुमार झा, वरिष्ठ निदेशक

New Delhi, the 3rd August, 2023

G.S.R. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2016, in so far as they relate to the post of Gallery Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby

makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Gallery Attendant in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Ministry of Textiles, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Gallery Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)	Level in pay matrix (4)
Gallery Attendant.	17 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000 – 56900).

Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits (7)
Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and	(a) Essential: 10 th class pass from a recognised Board. (b) Desirable: One year experience of working in a museum or art gallery. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience

	Nicobar Islands and Lakshadweep.	are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	----------------------------------	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, Grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Senior Director (Museum) - Chairman; 2. Director(Handicrafts) - Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum - Member.	Not applicable.

[F. No. 02/36/2022-NCM&HKA(Comp. No.49600)]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सा.का. नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 को, जहाँ तक उनका संबंध स्वागतकर्ता, अवर श्रेणी लिपिक (पुस्तकालय), भंडार लिपिक, वीथी सहायक, गाइड लेक्चरर, सुरक्षा हवलदार के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में स्वागतकर्ता—सह—लिपिक, वीथी सहायक, गाइड लेक्चरर, सुरक्षा हवलदार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-